रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 130] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 1972/फाल्गुन 12, 1893

No. 130] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 1972/PHALGUNA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है कि जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 2nd March 1972

S.O. 174(E)/IDRA/19/72/2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of the Industries Development and Regulation Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the following officers, to exercise the powers specified in clauses (a), (b) and (c) of the said sub-section in so far as they relate to the industrial undertaking, known as, Sirpur Paper Mills Limited, Sirpur, Andhra Pradesh, for the purposes of ascertaining the position and working of the said industrial undertaking, namely:—

1. Shri A. Seetharamiah, Senior Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, New Delhi.
2. Shri S. C Bafna, Regional Director, Company Law Board, Madras.
3. Shri S. Subha Rao, Senior Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, New Delhi.

[No. F. 13(33)/Lic. Pol./70.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1972

का० आ० 174(अ) आई० डी० आर० ए०/19/72/2.—औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 19 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को, उक्त उप-धारा के खण्ड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का, सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड, सिरपुर, आंध्र प्रदेश नामक औद्योगिक स्थापन के संबंध में, उक्त औद्योगिक उपक्रम के कार्यकरण और स्थिति का पता लगाने के प्रयोजन के लिए प्रयोग करने को प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

1. श्री ए० सीथारामिया,
 ज्येष्ठ औद्योगिक सलाहकार,
 तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
 नई दिल्ली ।

2. श्री एस० सी० अफना,
 प्रादेशिक निदेशक,
 कम्पनी विधि बोर्ड,
 मद्रास ।

3. श्री एस० सुमाराव,
 ज्येष्ठ लागत लेखा अधिकारी,
 वित्त मंत्रालय,
 नई दिल्ली ।

[स० फा० 13(33)लाई पी०/70]

एस० के० महगन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972